शीर्षक: अजमेर जिले के अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों का सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रति अभिवृत्ति का अधययन पर लघु शोधा ग्रन्थ

पर्यवेक्षक: डॉ. मुजम्मिल हसन

परिचय:

अल्पसंख्यक को सामान्यत: उस समूह से लिया जाता है जो धार्म भाषा और जाति की दृष्टि से बहुसंख्यक समुदाय से भिा एवं कम संख्या में हो अर्थात् अल्पसंख्यक वे है जो बहुमत से धार्म एवं भाषा की दृष्टि से कम संख्या में है।

1992 में इसमें समानता और सामाजिक न्याय के हित में शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर विरोधा में दो नई योजनाएँ जोड़ दी गई।

- शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए गहन क्षेत्रीय कार्यक्रम।
- मदरसा शिक्षा आधाुनिकीकरण वित्तीय सहायता योजना 1993-94 के दौरान शुरू की गई थी।

इस शोधा का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों का आईसीटी के प्रति दृष्टिकोण कैसा है, जाना जाता है। वर्तमान समय में सूचना एवं संचार तकनीकी शिक्षा में क्रान्तिकारी तरह से प्रवेश किया है।

हर शिक्षक को इंटरनेट, ईमेल, कम्प्यूटर के बारे में ही नहीं उसे उपयोग में लेना आना चाहिए इसी संबंधा में शोधाकर्ता ने राजस्थान के अजमेर जिले के अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों की आईसीटी के बारे में क्या दृष्टिकोण है तथा वे इस बारे में कितना जानते हैं, जानने की आवश्यकता हुई।

उद्देश्य:

- शहरी एवं ग्रामीण अल्पसंख्यक शिक्षकों का आईसीटी के प्रति दृष्टिकोण का अधययन करना है।
- अल्पसंख्यक विद्यालयों के महिला एवं पुरुष शिक्षकों के आईसीटी के प्रति दृष्टिकोण का अधययन करना।
- कार्य अनुभव के आधाार पर महिला एवं पुरुष अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों का आईसीटी के प्रति दृष्टिकोण का अधययन करना।

परिकल्पनाएंः

एच01 शहरी एवं ग्रामीण अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों का आईसीटी के प्रति दृष्टिकोण में सार्थक अन्तर नहीं है।

एच02 अल्पसंख्यक विद्यालयों में महिला एवं पुरुष शिक्षकों में आईसीटी के प्रति दृष्टिकोण में सार्थक अन्तर नहीं है।

एच03 कार्य अनुभव के आधाार पर अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों का आईसीटी के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

शोधा प्रक्रियाः

सर्वेक्षण प्रक्रिया

जनसंख्याः

शोधा में जनसंख्या शब्द का अर्थ भिन्न होता है। जनसंख्या का तात्पर्य सम्पूर्ण इकाइयों के निरीक्षण से होता है। इसमें कुछ इकाइयों के निरीक्षण से होता है। इसमें कुछ इकाइयों का चयन करके न्यादर्श बनाया जाता है।

न्यादर्शः

जब किसी भी जनसंख्या इकाई, वस्तुओं या मनुष्यों में से किसी चर या विशिष्ट मान ज्ञात करने के लिये उनकी एक इकाई को चुन लिया जाता है।

प्रस्तुत अधययन में शोधाकर्ता ने ''उद्देश्यानुसार न्यायदर्शन विधि'' का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श का आकारः -

अधयापक - 40

शहरी शिक्षक - 20 ग्रामीण शिक्षक–20

पुरुष –10 महिला–10 पुरुष –10 महिला–10

उपर्युक्त अधययन में अभिवृत्ति मापनी, लिर्कट मापनी का उपयोग किया गया है।

अधययन में शोधाकर्ता ने मधयमान, प्रमाणिक विचलन, टी–परीक्षण का उपयोग किया है।

शोधा के शैक्षिक निहितार्थ -

- अल्पसंख्यक एवं सामान्य विद्यालय के शिक्षकों का आईसीटी के प्रति उच्च सकारात्मक उत्पू एवं प्रभावी तरीके से जागरुकता।
- आईसीटी के प्रति अभिवृत्ति कम है या नकारात्मक प्राप्त होने पर उनके दृष्टिकोण को सुधाारने के लिये योजनाएँ चलाई जा सकती हैं।
- विद्यालयों में शिक्षकों के आईसीटी की उपयोगिता, अनुप्रयोग तथा इससे संबंधित सुविधााओं के बारे में जागरुक किया जा सकेगा।

भावी शोधाकार्य हेतु सुझाव:

- वर्तमान लघुशोधा अल्पसंख्यक विद्यालयों के केवल 40 शिक्षकों को लेकर किया गया है उसे बड़े क्षेत्र में अधिाक न्यादर्श लेकर शोधा किया जा सकता है।
- माधयमिक तथा उच्च माधयमिक विद्यालयों के शिक्षकों की आईसीटी के प्रति जागरुकता का अधययन।
- आईसीटी के प्रति भावी शिक्षकों की अभिवृत्ति की जागरुकता का आधययन।
- शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के संबंधा में अधयापकों का अधययन हेतु शोधा परियोजनाएँ निर्मित की जाती है।

शोधा का निष्कर्ष:

उपर्युक्त शोधा में शहरी एवं ग्रामीण अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों का आईसीटी के प्रति अभिवृति तथा अल्पसंख्यक विद्यालयों में पुरुष एवं महिला शिक्षकों की आईसीटी के प्रति क्या अभिवृत्ति है तथा साथ ही कार्य अनुभव के आधाार पर अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों को आईसीटी के प्रति अभिवृत्ति का अधययन किया गया तथा इससे निष्कर्ष निकला कि ग्रामीण विद्यालयों की अपेक्षा शहरी विद्यालयों के शिक्षकों का सकारात्मक दृष्टिकोण पाया गया।

- पुरुष व महिला की अभिवृत्तियों में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। आईसीटी के प्रति उनका रुझान समान ही पाया गया।
- कार्यानुभव के आधाार पर भी सकारात्मक अभिवृत्ति को ही पाया गया।

शीर्षक:

नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिाकार अधिानियम - 2009 के प्रति अल्पसंख्यक शिक्षकों के दृष्टिकोण का अधययन।

पर्यवेक्षक: डॉ. मुजम्मिल हसन

प्रस्तावना:

शिक्षा की प्रारम्भिकता एवं अनिवार्यता के बारे में अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्रदान की जाये।

86वें संविधाान संशोधान अधिानियम 2002 द्वारा बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का अधिाकार प्रदान किया गया। कुछ कारणों से इस व्यवस्था को कानूनी रूप नहीं दिया जा सका।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर बल दिया। जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय संसद द्वारा नि:शुल्क तथा अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा अधिानियम 2009 पारित किया गया तथा भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2010 से इस कानून को क्रियान्वित किया गया तथा प्रत्येक माता-पिता/संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्धा करवाना राष्ट्रीय कर्त्तव्य घोषित किया गया तथा 11वें मूल कर्त्तव्य के रूप में संविधाान में शामिल किया गया।

दिसंबर 2002 में बने संविधाान द्ध86वें संशोधानऋ अधिानियम 2002 भाग 3 द्धमूल अधिाकारऋ में एक नई धाारा 21ए जोड़कर 6-14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिाकार बनाने की बात करता है। संविधाान की धाारा 21ए कहती है - ''कानून, संकल्प द्वारा, राज्य अपने अनुरूप 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को मु"त अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।

उद्देश्य:

1. आर.टी.ई. का अधययन
2. राजकीय और अराजकीय अल्पसंख्यक अधयापकों में आर.टी.आई एक्ट 2009 के प्रति दृष्टिकोण की तुलना करना।
3. महिला एवं पुरुष अल्पसंख्यक अधयापकों में आर.टी.आई. एक्त 2009 के प्रति दृष्टिकोण की तुलना करना।

परिकल्पना:

1. कुल न्यादर्श अल्पसंख्यक अधयापकों का आर.टी.आई. एक्ट 2009 के प्रति कुल दृष्टिकोण पर प्राप्त मधय मान औसत के सार्थक अधिाक है।
2. राजकीय व अराजकीय विद्यालय अल्पसंख्यक अधयापकों में आर.टी.ई. एक्ट व इसके आयामों पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
3. महिला व पुरुष अल्पसंख्यकों अधयापकों में आर.टी.ई. एक्ट 2009 व इसके आयामों पर कोई सार्थक अंतर नहीं है।

4. शोधा प्रक्रिया: सर्वेक्षण विधिा

5. प्रस्तुत शोधा के प्रतिदर्श का चुनाव: प्रतिदर्श के लिए भरतपुर जिले के अल्पसंख्यक जिले के शिक्षकों को शोधाकर्त्ता ने कुल जनसंख्या के रूप में लिया। इस जनसंख्या में से स्तरित यादृच्छिक विधिा से विद्यालय, लिंग, क्षेत्र, पद, योग्यता, प्रशिक्षण के आधाार पर शिक्षकों का चयन किया, जो कि शोधाकर्त्ता का प्रतिदर्श है।

कुल शिक्षक - 80

सरकारी शिक्षक–40 निजी शिक्षक–40

पुरुष–20 महिला–20 पुरुष–20 महिला–20

ग्रामीण–10 शहरी–10 ग्रामीण–10 शहरी–10 ग्रामीण–10 शहरी–10 ग्रामीण–10 शहरी–10

6. शोधा उपकरण: प्रतिदर्श में कई प्रकार के उपकरण होते हैं।

प्रश्नावली

अनुसूची

चित्रंकन सूची

निर्धाारण मापनी

अवलोकन

साक्षात्कार

बुि) तालिका आदि।

शोधाकर्ता ने अभिवृत्ति मापनी एवं लिंकर्ट विधिा का उपयोग किया है।

7. **शोधा में प्रयुक्त सांख्यिकी:** मधयमान, मानक विचलन, टी–परीक्षण, एफ–परीक्षण।

8. **शोधा के निष्कर्ष एवं सुझाव:**

कुल अल्पसंख्यक अधयापकों में आर.टी.ई. 2009 के अधययन में सार्थक अंतर है तथा कुल अल्पसंख्यकों अधयापकों में ''आर.टी.ई. का प्रारम्भिक प्रावधाान'' आयाम के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक व उच्च है।

राजकीय व अराजकीय विद्यालय के अल्पसंख्यक शिक्षकों में आर.टी.ई. एक्ट 2009 के अधययन में सार्थक अंतर नहीं है। परन्तु राजकीय में आर.टी.ई. का प्रारम्भक प्रावधाान आयाम के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक व उच्च है।

महिला व पुरुष अल्पसंख्यकों शिक्षकों में आर.टी.ई. एक्ट 2009 के अधययन में सार्थक अंतर है, लेकिन महिला अल्पसंख्यक शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष अल्पसंख्यक शिक्षकों में आर.टी.ई. का प्रारम्भिक प्रावधाान आयाम के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक व उच्च है।

9. **सुझाव:**

1. शिक्षा के अधिाकार के प्रति अल्पसंख्यक अधयापकों के दृष्टिकोण पर शोधाकार्य माधयमिक स्तर पर किया जा सकता है।
2. शिक्षा के अधिाकार के प्रति अभिभावकों तथा अधयापकों के दृष्टिकोण का तुलनात्मक अधययन किया जा सकता है।
3. शिक्षा के अधिाकार के प्रति छात्र–छात्रओं की अभिवृत्ति का अधययन किया जा सकता है।
4. शिक्षा शिक्षक–शिक्षिकाओं तथा अभिभावकों के शिक्षा के अधिाकार के प्रति अभिवृत्ति जानने के लिए शोधा कार्य किया जा सकता है।
5. शिक्षा का अधिाकार के प्रति समाज के विभिू वर्गों में सकारात्मक दृष्टिाकोण को उत्पू किया जा सकता है।